संचिका सं0–3/एम0–162/2005सा0प्र0 8237

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्री भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 6-7-17

विषयः– **आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता का आकलन करने के पश्चात् ही विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–19 में लघु शास्तियों के अधिरोपण की प्रक्रिया तथा नियम–17 में बृहद् शास्ति अधिरोपित करने हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया प्रावधानित है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1893 दिनांक–14.06.2011 द्वारा इस संदर्भ में विस्तृत मार्गनिर्देश निर्गत किया गया है।

परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति एवं गम्भीरता का आकलन किये बगैर, उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया जा रहा है। फलस्वरूप विभागीय कार्यवाहियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि हो रही है।

2. अतः अनुरोध है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय लिये जाने के पूर्व, आरोपों की प्रकृति एवं गम्भीरता का आकलन किया जाय। यदि प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्रकृति के नहीं हों और लघु शास्तियाँ अधिरोपित किये जाने योग्य हों तो, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आरोप प्रकरण का अन्तिम निष्पादन किया जाय। आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, विभागीय कार्यवाही उन्हीं मामलों में प्रारम्भ किया जाय, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में, आरोपित सरकारी सेवक को बृहद् दण्ड दिये जाने की सम्भावना हो।

उक्त अनुदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

6/7/17

(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव